न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 239/2025(GCMS : 2025/377)

India Shelter Finance Corporation Limited, No. 1, 1st Floor, Block G, Gurudwara Road, Near Nanak Darbar, G Block Sri Ganganagar, Rajasthan-335001

बनाम

1. **Mr. Sukhdeep Kaur, Addresss** Ward No. 6, 12th Mohalla, Sri Ganganagar, Rajasthan – 335027 **Address:** Patta No. 19 and 10 Book No. 04 and 28, Ward No. 6 12[H Mohalla, Sri Ganganagar, Rajasthan 335027
2. **Mr. Jaspal Singh Addresss** Ward No. 6, 12th Mohalla, Sri Ganganagar, Rajasthan – 335027 **Address:** Patta No. 19 and 10 Book No. 04 and 28, Ward No. 6 12[H Mohalla, Sri Ganganagar, Rajasthan 335027
3. **Mr. Nayab Singh Addresss** Ward No. 6, 12th Mohalla, Sri Ganganagar, Rajasthan – 335027 **Address:** Patta No. 19 and 10 Book No. 04 and 28, Ward No. 6 12[H Mohalla, Sri Ganganagar, Rajasthan 335027

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दलीप कुमार जोशी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सुखदीप कौर, जसपाल सिंह एवं नायब सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 12.00/– लाख रूपयें ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 25.11.2021 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 09.10.2024 को 12,08,235/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी जसपाल सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 19, बुक सख्या 04, ग्राम पंचायत वाके 12 एच मौहल्लां, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 2250 वर्गुट अर्थात 209.10 वर्गमीटर है। (उसकी चारों सीमाएं है: उत्तर में – तारा सिंह, दक्षिण में – जसपाल सिंह, पूर्व में – नायब सिंह एवं पश्चिम में – गली),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:34:22 IST
Reason: SelfAttested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा **14,** शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण सुखदीप कौर, जसपाल सिंह एवं नायब सिंह** को ऋण सुविधा के रूप में 12.00/– लाख रूपये **(अखरे रूपये बारह लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 25.11.2021 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी जसपाल सिंह ने अपनी अचल

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 19, बुक सख्या 04, ग्राम पंचायत वाके 12 एच मौहल्लां, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 2250 वर्गुट अर्थात 209.10 वर्गमीटर है। (उसकी चारों सीमाएं हैः उत्तर में – तारा सिंह, दक्षिण में – जसपाल सिंह, पूर्व में – नायब सिंह एवं पश्चिम में – गली), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.10.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी जसपाल सिंह की अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 19, बुक सख्या 04, ग्राम पंचायत वाके 12 एच मौहल्लां, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 2250 वर्गुट अर्थात 209.10 वर्गमीटर है। (उसकी चारों सीमाएं हैः उत्तर में – तारा सिंह, दक्षिण में – जसपाल सिंह, पूर्व में – नायब सिंह एवं पश्चिम में – गली), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित [illegible] अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ता[illegible] लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:34:22 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अप्रार्थी [illegible] पर धारा [illegible](2) के जारी नोटिस 11.10.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना [illegible] के अनुसार दिनांक 11.10.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.10.2024 को भिजवाये गये थे,

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिसकी रसीद पत्रावली में **उपलब्ध** है। **धारा 13(2)** के नोटिस प्राप्ति के **ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है और** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी जसपाल सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी जसपाल सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 19, बुक सख्या 04, ग्राम पंचायत वाके 12 एच मौहल्लां, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 2250 वर्गुट अर्थात 209.10 वर्गमीटर है। (उसकी चारों सीमाएं हैः उत्तर में – तारा सिंह, दक्षिण में – जसपाल सिंह, पूर्व में – नायब सिंह एवं पश्चिम में – गली), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आ[illegible]ति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगान[illegible] जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल [illegible] हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.10.2025 [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:34:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर